



Mussoorie-Dehradun Development Authority

वर्ष—2026—27

निविदा दस्तावेज

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

ई—मेलआई0डी0—mddaonline.in

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक 948

/उद्यान/नि0सू0/2026-27

दिनांक 17/07/26

अल्पकालीन निविदा सूचना

उपाध्यक्ष एम0डी0डी0ए0, देहरादून द्वारा अवस्थापना समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में 04 कार्यों की निविदा ऑफ लाईन (टेन्डर बोक्स) के माध्यम से टू बिड सिस्टम के अन्तर्गत दिनांक 31-07-2026 को अपरान्ह 02.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्य की पहले तकनीकी बिड जो उसी दिन अपरान्ह 03.00 बजे गठित समिति द्वारा उपस्थित निविदा दाताओं/प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी, तथा तकनीकी बिड में सफल निविदा दाताओं की वित्त बिड बाद में खोली जायेगी, जिसकी सूचना तकनीकी रूप से सफल निविदा दाताओं को भेजी जायेगी। आगणन में अंकित बिशिष्टियों की मात्रा पूर्णत अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य की माप/आगणन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक फर्म द्वारा नीचे वर्णित कार्य हेतु प्रतिभूति राशि अधिशासी अभियन्ता, एम0डी0डी0ए0 देहरादून के नाम बन्धक हो एवं निविदा का शुल्क मय जी0एस0टी0 सहित की धनराशि का पे आर्डर जो सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पक्ष में हो को निविदा खोलने से पूर्व प्राधिकरण के उद्यान अनुभाग में अनिवार्य रूप से 02.00 बजे तक जमा करनी होगी। अन्य शर्तें जी0पी0डब्लू0-9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेंन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी सशोधित शासनादेश संख्या 1197/11(2)/0.7-75 (सामान्य)/11 दिनांक 24-2-2014 एवं अन्य के अनुसार होंगी।

क0सं0	चैक लिस्ट	
	विवरण	
1	फर्म के पास उधानीकरण के तहत आरबोरीकल्चर/लैण्डस्केपिंग(पार्क विकसित/पौधारोपण) के कार्य एवं (रखरखाव/अनुरक्षण सहित) का किसी भी सरकारी संस्थानों/ भारत सरकार/राज्य/निगमों/प्राधिकरणों का विगत तीन वित्तीय वर्षों में (2022-23, 2023-24, 2024-25) में निविदा लागत के जी0एस0टी0 सहित 80 प्रतिशत की धनराशि का कम से कम एक कार्य का अनुबन्ध अथवा निविदा लागत के 50-50 प्रतिशत धनराशि, के दो कार्य अनुबन्ध अथवा 40-40 प्रतिशत से अधिक धनराशि के तीन कार्य अनुबन्धों का सफलातापूर्वक निष्पादित किया हो का Work Done Completion Certificate प्रस्तुत करना होगा।	
2	निविदा दाता को अपनी फर्म का उत्तराखण्ड राज्य में जी0एस0टी0 राजिस्ट्रेशन होने सम्बन्धी प्रपत्र की सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	
3	निविदा दाता को उक्त कार्य किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 223817/2024/08(200)/XXVII(8)/2023 दिनांक 10 जुलाई 2024 के अनुसार उत्तराखण्ड में पंजीकृत होने की दशा में राज्य क्षेत्राधिकार कर प्राधिकारी (State Jurisdictional Tax Authority) द्वारा जारी तथा आपूर्ति कर्ता का केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के अधीन होने की दशा में सन्दर्भित प्रमाण पत्र एसे राज्य क्षेत्राधिकारी कर प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा जिसके भूगोलिक क्षेत्र की समीओं के अन्तर्गत उक्त केन्द्रीय कर प्रशासित आपूर्ति कर्ता अवस्थित है से निविदा प्रकाशित होने के उपरान्त तथा निविदा की अन्तिम तिथि से पूर्व में निर्गत जी0एस0टी0 सम्बन्धी अदेय प्रमाण पत्र (No Dues Certificate) तथा समस्त देय विवरण (Statement) एवं विवरण (Return) जमा होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। जिसमें मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित निविदा संख्या का उल्लेख होना अनिवार्य है।	
4	पैन कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी।	
5	निविदा प्रतिभूति हेतु निर्धारित धनराशि एफ0डी0आर0 जो कि अधिशासी अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के पक्ष में कम से कम 90 दिनों हेतु बन्धक हो, प्रस्तुत करना होगा।	

6	फर्म को विगत 03 कर निर्धारण वर्ष (वित्तीय वर्ष) (2022-23, 2023-24, 2024-25) की आईटी0आर0 प्रस्तुत करनी होगी।	
7	फर्म को विगत 03 कर निर्धारण वर्ष (वित्तीय वर्ष) (2022-23, 2023-24, 2024-25) की Balance Sheet प्रस्तुत करनी होगी।	
8	निविदादाता को निविदा लागत के विगत 03 कर निर्धारण वर्ष (वित्तीय वर्ष) (2022-23, 2023-24, 2024-25) में से औसत टर्नओवर 50 प्रतिशत किया हो एवं टर्नर ओवर पर यू0डी0आई0एन0 अंकित होना अनिवार्य है। यू0डी0आई0एन0 अंकित न होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।	
9	निविदादाताओं द्वारा निर्धारित निविदा मूल्य का डिमांड ड्राफ्ट (डी0डी0 सचिव,,) मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के पक्ष में तथा निर्धारित धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 की हार्डकॉपी निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक को अपरान्ह 02:00 बजे तक ही उद्यान अनुभाग में रखे सील बन्द निविदा बॉक्स में अनिवार्य रूप से डाली जायेगी, जिन निविदादाताओं द्वारा निविदा मूल्य व धरोहर राशि की हार्डकॉपी निविदा बॉक्स में डाली जायेगी, उन्ही निविदादाताओं की तकनीकी निविदा खोली जायेगी। निविदादाताओं द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर राशि की हार्डकॉपी सील बन्द निविदा बॉक्स में प्राप्त न होने पर ई-टेंडर बेबसाइट www.uktenders.gov.in पर अपलोड निविदादाताओं की निविदा निरस्त समझी जायेगी।	
10	निविदा दाता द्वारा देशभर में किसी भी सरकारी विभाग/अर्द्ध सरकारी विभाग/प्राधिकरण / नगर निकायों में निविदा जारी होने की तिथि से 02 वर्ष पूर्व तक ब्लैक लिस्ट एवं कोई वाद विवाद (लिटिकेशन) नहीं होने का शपथ पत्र 100/-रु0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर देना अनिवार्य होगा। (मूल प्रति)	
11	निविदा की वैधता 90 दिनों (03 माह) तक मान्य हेतु फर्म को रु0-100.00 के स्टाम्प प्रपत्र पर देना होगा।	
12	निविदा दाता द्वारा 10/-रु0 के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा कि मैं "निविदा से सम्बन्धित समस्त शर्तें स्वीकारीय है तथा निविदा में उपलब्ध करायी गयी समस्त शर्तें सत्य है। यदि मेरे द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्र/सूचना/अभिलेख असत्य एवं भामिक पायी जाती है तो मेरी निविदा को निरस्त किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी"। (मूल प्रति)	
13	उत्तराखण्ड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
14	निविदा दाता को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
15	निविदा दाता को District Magistrate निर्गत निविदा लागत का 50 प्रतिशत धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा निविदा लागत का 50 प्रतिशत धनराशि का Bank Solvency Certificate प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा जमा न करने पर निविदादाताओं की निविदा मान्य नहीं होगी।	
16	निविदादाता को निविदा मूल्य की डी0डी0 व निविदा प्रतिभूति की एफ0डी0आर0 सील बन्द लिफाफे में बन्द कर जमा करना अनिवार्य है। लिफाफे के बाहर कार्य का नाम, कार्य उपरोक्त चीजें स्पष्ट अंकित न हो तो निविदा निरस्त समझी जायेगी।	
17	स्वीकृत निविदा दर के आधार पर सम्बन्धित फर्म को आपूर्ति/कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व 100/-रु0 के स्टाम्प पेपर पर एल0ओ0ए0 जारी होने के 02 सप्ताह के भीतर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा, जिसके उपरान्त ही स्थल पर निविदादाता द्वारा आपूर्ति/कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	
18	निविदा के कार्य पूर्ण करने की अवधि 02 माह एवं 2 वर्षों का रखरखाव है।	
19	समस्त निर्धारित/उल्लेखित शर्तों का पालन न करने की दशा में तथा किसी सूचना को छुपाये जाने की दशा में किसी भी समय निविदा निरस्त कर दी जायेगी।	
20	उपरोक्त समस्त निविदाओं को स्वीकृत/निरस्त करने का सर्वाधिकार बिना कारण बताए उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को निहित है।	
21	यदि कोई ठेकेदार किसी कार्य को करने में असफल रहता है अथवा अनावश्यक	

	विलम्ब करता है तो ऐसी स्थिति में वह ठेकेदार अन्य कार्य हेतु निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने के लिये योग्य नहीं माना जायेगा।	
22	जिन निविदा दाताओं द्वारा निविदा में प्रतिभाग किया जायेगा उनको स्पष्ट रूप से सूचित किया जाता है कि जितने भी अभिलेख शर्तों के अनुसार मांगे गये हैं उतने ही अभिलेख निविदा में अपलोड किये जाये/टेन्डर बॉक्स में डाले जाये। इसके अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख निविदा में न अपलोड किये जाये और न ही टेन्डर बॉक्स में डाले जाये।	

नोट:-जिस किसी भी निविदा दाता के पक्ष में उपरोक्त कार्य आवंटित किया जायेगा उससे 3 या 5 प्रतिशत कार्य पूर्ति प्रतिभूति राशि प्राप्त की जायेगी।

1-निविदा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथि एवं समय					
● निविदा प्रकाशित करने की तिथि-		दिनांक/...../2026			
● निविदा अपलोड करने की तिथि		दिनांक/...../2026			
● निविदा डालने की अन्तिम तिथि एवं समय		दिनांक/...../2026 समय अपरान्ह 02:00 बजे तक।			
● निविदा खोलने की तिथि एवं समय		दिनांक/...../2026 समय			
2-कार्य के नाम					
क्र०सं०	कार्य का नाम	धनांक रू० (लाख में)			
1	खादरी रोड ऋषिकेश में पौधा रोपण का कार्य एवं 02 वर्षों तक रखरखाव का कार्य।	24.75			
2	अमृत सरोवर पार्क ऋषिकेश में पौधा रोपण का कार्य एवं 02 वर्षों का रखरखाव का कार्य।	22.35			
3	जाखन कैनाल रोड स्थित रिस्पना नदी के किनारे एवं श्री राजेश क्रीडा स्थल डांडा लखोण्ड में पौधा रोपण का कार्य एवं 02 वर्षों का रखरखाव का कार्य।	23.99			
4	रायपुर चौक के सम्मुख स्थित डिफेन्स की रिक्त भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य, साथ ही पौधों के रखरखाव हेतु तारबाड किये जाने का कार्य एवं 02 वर्षों का रखरखाव का कार्य।	24.89			
3-निविदा शुल्क					
● निविदा में प्रतिभाग करने हेतु सर्वप्रथम निविदा शुल्क रू० 2300.00 (दो हजार तीन सौ रू०) मात्र मय जी०एस०टी० सहित का सचिव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के नाम का डिमान्ड ड्राफ्ट या लेखानुभाग में नगद भुगतान जमा कर रसीद की मूल प्रति सील बन्द लिफाफे में जमा कराना होगा। ● निविदा शुल्क धनराशि को किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।					
4-निविदा प्रतिभूति					
● निविदा में प्रतिभाग करने हेतु निविदा प्रतिभूति एफ०डी०आर० के माध्यम से अधिशासी अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के नाम बन्धक कराना होगा जो कि निविदा की अन्तिम तिथि से न्यूनतम 45 दिवस तक वैध होगा। कार्य के अनुसार निविदा प्रतिभूति का धनांक अलग-अलग होता है जिसका विवरण निम्न है:-					
क्र०सं०	कार्य का नाम	धनांक रू० (लाख में)	निविदा प्रतिभूति	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैधता
1	खादरी रोड ऋषिकेश में पौधा रोपण का कार्य एवं 02 वर्षों का रखरखाव का कार्य।	24.75	74300.00	02 माह एवं 02 वर्षों का रखरखाव।	90 दिन

2	अमृत सरोवर पार्क ऋषिकेश में पौधा रोपण का कार्य एवं 02 वर्षों का रखरखाव का कार्य।	22.35	68000.00	02 माह एवं 02 वर्षों का रखरखाव।	90 दिन
3	जाखन कैनाल रोड स्थित रिस्पना नदी के किनारे एवं श्री राजेश कीड़ा स्थल डांडा लखोण्ड में पौधा रोपण का कार्य एवं 02 वर्षों का रखरखाव का कार्य।	23.99	72000.00	02 माह एवं 02 वर्षों का रखरखाव।	90 दिन
4	रायपुर चौक के सम्मुख स्थित डिफेन्स की रिक्त भूमि पर वृक्षारोपण का कार्य, साथ ही पौधों के रखरखाव हेतु तारबाड किये जाने का कार्य एवं 02 वर्षों का रखरखाव का कार्य।	24.89	71000.00	02 माह एवं 02 वर्षों का रखरखाव।	90 दिन

5-कार्य पूर्ति प्रतिभूति

- सफल निविदा दाता द्वारा कार्यपूर्ति प्रतिभूति प्रस्तुत करने के बाद उनके द्वारा जमा की गयी निविदा धरोहर को अवमुक्त कर दिया जायेगा।
- किसी भी दशा में अनुरक्षण अवधि पूर्ण होने से पूर्व कार्य पूर्ति प्रतिभूति की धनराशि को अवमुक्त नहीं किया जायेगा।

6-कार्य/आपूर्ति आदेश

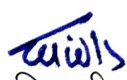
- कार्य में विलम्ब होने की दशा में निविदा दाता पर निविदा मूल्य का 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन तथा अधिकतम निविदा मूल्य का 10 प्रतिशत तक अर्थदण्ड लगाया जायेगा जिसे उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों से काटा जायेगा।
- यदि सफल निविदा फर्म एल-1 द्वारा अनुबन्ध /कार्य आदेश के बाद निर्धारित समय में आपूर्ति /कार्य प्रारम्भ नहीं किये जाने की दशा में निविदा दाता की प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए उसका अनुबन्ध एवं निविदा को निरस्त करने एवं फर्म को 02 वर्षों हेतु ब्लैक लिस्ट करने की कार्यवाही की जायेगी।

5-विवाद की स्थिति

- फर्म तथा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के मध्य कोई विवाद होने पर उसका निस्तारण मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण स्तर पर किया जायेगा। किसी भी प्रकार के विवाद होने की स्थिति में न्याय क्षेत्र देहरादून होगा।

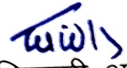
6-भुगतान की प्रक्रिया

- फर्म को किये गये आपूर्ति/कार्य के रनिंग बिल का भुगतान भी निरीक्षण/माप आंकलन के अनुसार किया जायेगा।
- आपूर्ति/कार्य के उपरान्त बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- निविदा दाता द्वारा किया गया आपूर्ति/कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर ही भुगतान किया जायेगा।
- मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा बी0ओ0क्यू में प्राप्त दर के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के व्यय का भुगतान मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा नहीं किया जायेगा।
- मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण स्तर पर अपरिहार्य कारणों से भुगतान में विलम्ब होने पर निविदा दाता द्वारा आपूर्ति/कार्य नहीं रोका जायेगा।


 अधिशासी अभियन्ता,
 मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
 देहरादून।

प्रतिलिपि :-

- 1-उपाध्यक्ष म0दे0वि0प्रा0 देहरादून।
- 2-सचिव, म0दे0वि0प्रा0 देहरादून।
- 3-मुख्य लेखाधिकारी, म0दे0वि0प्रा0, देहरादून।
- 4-नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिंचाई विभाग/आयुक्त/सी0डी0ओ0 के नोटिस बोर्डों पर चस्पा हेतु।
- 5-नाजिर म0दे0वि0प्रा0 को इस आशय से प्रेषित कि व दैनिक समाचार पत्र राजकीय संस्करण में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायेंगे।
- 6-आई0टी0अनुभाग को इस आशय से कि उक्त विज्ञप्ति को प्राधिकरण की बेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 7-प्राधिकरण बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 8-सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु।


अधिशाली अभियन्ता,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।